न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 10 / 2025.(GCMS : **2025/286**)

सीताराम पुत्र भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी 8 केएनडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर – मोबाईल नं. 96670–37577

बनाम

अंकुर पुत्र सीता राम जाति बिश्नोई निवासी 8 केएनडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर – मोबाईल नं. 87399–84586

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सीताराम एवं रेस्पोडेंट अंकुर उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 5 व धारा 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया था कि वह चक 8 केएनडीए तहसील रावला का स्थाई निवासी है। अप्रार्थी अंकुर, प्रार्थी का पुत्र है, जो प्रार्थी के साथ ही चक 8 केएनडी–ए में परिवार सहित निवास करता रहा, प्रार्थी ने अपने जीवन में मेहनत मजदूरी करके अपने पिता के साथ रहते हुए भूमि खरीद की थी। अपीलार्थी के पिता द्वारा खरीद की गई भूमि और पैतृक भूमि में से करीब 20 बीघा भूमि प्रार्थी के पुत्र अंकुर के नाम से पारिवारिक समझौते के नाम से दर्ज करवा दी एवं समस्त कृषि औजार, ट्रेक्टर आदि सौंप दिये। अप्रार्थी अंकुर, अपीलार्थी की जीवनयापन के लिए किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करता है। प्रार्थी को घर से बहार निकाल दिया है, जिससे प्रार्थी का जीवनयापन करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी ने दिनांक 13.02.2024 को उपजिला कलक्टर, घड़साना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5(1)(क) व (ख) के अधीन पेश किया था, जिसे बाद सुनवाई उनके द्वारा दिनांक 20.05.2024 को निर्णय करते हुए, अप्रार्थी अंकुर को 10,000/– प्रतिमाह प्रार्थी को भरण पोषण के रूप में दिये जाने के आदेश दिये गये थे। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी अंकुर ने एक अपील तत्कालीन जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के समक्ष पेश की थी, जिसे तत्कालीन जिला कलक्टर, अनूपगढ़ ने स्वीकार करते हुए प्रार्थी की उम्र 60 वर्ष से कम मानते हुए उपजिला कलक्टर, [illegible] निर्णय दिनांक 20.05.2024 को अपास्त कर दिया। अपीलार्थी [illegible] कलक्टर, घडसाना समक्ष अपील प्रसतुत की है, जिसमें उपजिला कलक्टर घडसाना ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.2025 से 2000/– प्रति माह अपीलार्थी के बैंक खाते में जमा करवाने के आदेश अप्रार्थी अंकुर को दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी सीताराम ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट के पास 20.10 बीघा कृषि भूमि है, ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर से अपनी कृषि भूमि में काश्त करता है जिससे रेस्पोंडेंट को लगभग 10–12 लाख रूपये प्रतिवर्ष आय होती है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट द्वारा पार्टनरशिप में मेडिकल स्टोर खोल रखा है, जिससे भी रेस्पोडेंट को 50,000/– रूपये प्रतिमाह कमाता है। रेस्पोडेंट साधन सम्पन्न है, जिसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा 2000/– रूपये भरण पोषण दिलाये जाने के आदेश दिये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलांट अक्सर बीमार रहता है, इलाज पर भी अपीलांट को खर्चा करना पडता है, मात्र 2000/– रूपये अपीलांट खर्चा चलना संभव नहीं है। अपीलांट को 20,000/– रूपये भरण पोषण की जरूरत है, जो अपीलांट रेस्पों से प्राप्त करने का कानूनी हकदार है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.06.2025 को निरस्त फरमाया जावे एवं उसे, रेस्पोडेंट से 20,000/– रूपये प्रति माह भरण पोषण दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रार्थी ने अपने पिता यानि अप्रार्थी के दादा के साथ रहते हुए जमीन खरीद नहीं की गई, बल्कि उसके दादा भागीरथ ने, अपीलार्थी का अपराधिक प्रवृति से परेशान होकर अपनी कृषि भूमि उसे, उसकी नाबालिग अवस्था में ही जरिये उपहार में दे दी थी तथा अप्रार्थी के दादा ने अपने समस्त औजार कृषि संयत्र आदि अप्रार्थी को ही प्रदत्त किए थे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी का पालना पोषण अप्रार्थी की माता के द्वारा ही किया गया तथा उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी की आजिवीका का एक मात्र साधन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी स्वयं शुरू से ही झगडालू एवं अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति रहा है जो हमेशा अप्रार्थी के दादा व अपनी पत्नी (अप्रार्थी की माता) को तंग परेशान करता रहा है। अपीलार्थी ने रेस्पोडेंट, उसकी बहन व माता के विरूद्ध [illegible] झूठे [illegible] तथ्यों के आधार पर मुकद्दमे दर्ज करवाकर अप्रार्थी [illegible]

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] आय के पर्याप्त साधन है जो अपना भरण पोषण करने में पूर्णतया [illegible] है। प्राथी का एक मात्र उद्देश्य अप्रार्थी को जरिये दान प्राप्त की गई कृषि भूमि को हड़पना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी ने अप्रार्थी को उसके हक अधिकारों से महरूम करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के नाम चक 8 केएनडी–ए के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नं. 4 व 5 में 2 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि का सालाना ठेक 23000/– रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से 46000/– रूपये प्रार्थी को प्राप्त होता है। इसके अलावा प्राधनमंत्री किसान निधि से प्रतिवर्ष 8000/– रूपये प्रार्थी को प्राप्त होते है। प्रार्थी ने अपना रावला मण्डी की केशव कॉलोनी में स्थित प्लॉट कुछ समय पूर्व 4,50,000/– रूपये में बेचान कर दिया था, जो राशि उसके पास है तथा प्रार्थी को 1100/– रूपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होती है तथा नरेगा में भी कार्य करता है, जिससे भी प्रार्थी को आय प्राप्त होती है। प्रार्थी बिश्नोई मन्दिर अनूपगढ़ में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, जिससे प्रार्थी को 9500/– रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी स्वयं अविवाहित एवं बेरोजगार है तथा अप्रार्थी पर परिवार की समस्त जिम्मेदारी है, अप्रार्थी अपनी दो बहनों व बीमार माता के साथ रहता है। अप्रार्थी की माता बीमार रहती है, जिसके ईलाज का समस्त खर्च अप्रार्थी वहन कर रहा है तथा अपनी दोनों बहनो का पालन पोषण भी अप्रार्थी ही कर रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी अपराधिक एवं दूराचारी किस्म का व्यक्ति है। प्रार्थी के खिलाफ पुलिस थाना रावला में धारा 377 आईपीसी एवं पोक्सो एक्ट एवं अन्य अपराधिक किस्म के प्रकरण दर्ज है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी की माता एवं बहन के खिलाफ भी अनेक मुकद्दमे दर्ज करवा रखे है तथा प्रार्थी कतई सद्भाविक नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलांट द्वारा अपनी बीमारी के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य पेश ही नहीं किया गया और ना ही यह स्पष्ट किया गया कि ऐसी कौन सी [illegible] जिसका ईलाज 20,000/– रूपये में हो रहा है जबकि राज्य सरकार की [illegible]ओं के आधार पर प्रदेश में निःशुल्क ईलाज हो[illegible] कि अपीलार्थी स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ है। इसलिए अपील[illegible] की अपील खारिज करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 05 एवं 23 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष पेश हुआ जिसमें उनके द्वारा अपने अंतिम पैरा निम्नानुसार दिनांक 20.06.2025 को निम्न निर्णय पारित किया है:

> ऐसी स्थिति में उक्तानुसार विवेचन करने तथा सभी गवाहों और बहस पर मनन करने पर न्यायालय को लगता है कि अप्रार्थी अपने परिवार का अकेला भरण पोषण करने वाला व्यक्ति है तथा उस पर परिवार की पूर्ण जिम्मेदारी है और वह कोई स्थाई रोजगार भी नही करता है परन्तु उक्त पारिवारिक परिस्थितियों के मध्यनजर अप्रार्थी की भी प्रार्थी की देख–रेख व भरण पोषण की जिम्मेदारी बनती है। अतः प्रार्थी के पुत्र अप्रार्थी अंकुर पुत्र सीताराम जाति बिश्नोई निवासी 8 केएनडी–ए तहसील रावला को निर्देशित किया जाता है कि व दिनांक 01.07.2025 से प्रतिमाह 2000/– अखरे दो हजार रूपये प्रार्थी सीताराम पुत्र भागीरथ बिश्नोई निवासी 8 केएनडी–ए तहसील रावला के बैंक खाता में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उसके भरण पोषण के भुगतान, प्रार्थी के जीवनपर्यन्त (जीवन रहने तक) करेगा।

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के उक्त निर्णय दिनांक 20.06.2025 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है तथा 20,000/– प्रतिमाह भरण पोषण दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 में निम्न प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

> **4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भ[illegible]**
> **(1) माता– पिता को सम्मि[illegible], जो अपने अर्जन या अपने स्वामि[illegible] का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–**
> **(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।**

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरुद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क कि उसे 20,000/– रूपये प्रति माह भरण पोषण दिलाया जावे। इस संबंध में अधिनियम की धारा 9 अवलोकनीय है जों निम्न प्रकार से हैः–

9. भरण पोषण हेतु आदेशः– (1) यदि सन्तान या संबंधी, जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण–पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों का या संबंधियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भता, जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण [illegible] निर्देश दें।

(2) अधिकतम भरण पोषण भता, जिस[illegible] इस [illegible]करण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा होगा, जैसा कि [illegible] सरकार द्वारा विहित किया जाए, [illegible] से अधिक नही होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested

उक्त धारा 9(1) के तहत माता पिता अगर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और संतान भरण पोषण करने से अपेक्षा करती है तो माता

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पिता अपनी समस्त संतानो से 10,000/–रूपये प्रति माह भरण पोषण पाने के हकदार है और अधिकरण जैसा ठीक समझे भरण पोषण निर्धारण कर सकता है। धारा 9(2) के तहत ऐसा भरण पोषण भत्ता 10,000/– रूपये प्रति माह से अधिक देय नही होगा।

अपीलार्थी को अपनी समस्त संताने से भरण पोषण की मांग की जानी चाहिए थी, लेकिन अपीलार्थी ने केवल अपने पुत्र अंकुर से ही भरण पोषण की मांग की है तथा अपनी अन्य सन्तानों से भरण पोषण की मांग नहीं की है। लेकिन यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी वृद्ध है तथा स्वस्थ है तथा अपना भरण पोषण करने में सक्षम प्रतीत होता है तथा अपीलार्थी ने अपनी बहस अक्सर बीमार रहना बताया है, किन्तु किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपीलार्थी का भरण पोषण करना रेस्पोडेंट का नैतिक और कानूनी उत्तरदायित्व भी है। इसलिए रेस्पोडेंट को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी के जीवनयापन हेतु 2000/– रूपये (अखरे रूपये दो हजार मात्र) प्रतिमाह प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवायें तथा रेस्पोडेंट को माह जुलाई 2025 से अपीलार्थी के खाते में राशि जमा करवाने के आदेश दिये जाने उचित प्रतीत होते है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थी का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थी, प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील निस्तारित की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का आदेश दिनांक 20.06.2025 को यथावत् रखा जाता है तथा समस्त रेस्पोडेंट अंकुर को आदेशित किया जाता है कि वे, अपीलार्थी के बैंक खाते में माह जुलाई 2025 से प्रति माह राशि 2000/–(अखरे रूपये दो हजार मात्र) अपीलार्थी के बैंक खाते में जमा करवायेगें तथा अप्रार्थी, प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें। अधीनस्थ न्यायालय [illegible]य आदेश की प्रति पालनार्थ लौटाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी [illegible] रेस्पोडेंट को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:31:52 IST
Reason: SelfAttested